हरियाणा विधान सभा की कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

समिति की बैठक सोमवार, 11 नवम्बर, 2024 को 9.00 बजे प्रातः माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई। उसमें निम्नलिखित उपस्थित थेः—

1. श्री हरविन्द्र कल्याण, अध्यक्ष	पदेन चेयरपर्सन
2. श्री नायब सिंह, मुख्य मंत्री	सदस्य
3. श्री महिपाल ढ़ांडा, संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य
4. श्री कृष्ण कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री	सदस्य
5. श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.	सदस्य
6. श्री अर्जुन चौटाला, एम.एल.ए.	सदस्य

विशेष आमंत्रितः

1. डॉ० कृष्ण लाल मिढ़ा, उपाध्यक्ष
2. श्रीमती सावित्री जिंदल, एम.एल.ए

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2024 को 11.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 5.00 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी :—

बुधवार, 13 नवम्बर, 2024 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात् विधान सभा की बैठक आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी;

वीरवार, 14 नवम्बर, 2024 को विधान सभा की बैठक 11.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 05.00 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी;

समिति ने आगे यह सिफारिश की कि 18 नवम्बर, 2024 को विधान सभा की बैठक 11.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 13, 14, तथा 18 नवम्बर, 2024 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः—

बुधवार, 13 नवम्बर, 2024 (11.00 बजे प्रातः) को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात् सदन की बैठक होगी।	1. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज़ पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना। 2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अधीन जारी की गई भारत के निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की एक प्रति सदन के मेज पर रखना। 3. शोक प्रस्ताव। 4. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 5. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव।

	6. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज–पत्र।
	7. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा।
	8. विधायी कार्य।
वीरवार, 14 नवम्बर, 2024 (11.00 बजे प्रातः)	1. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान। 2. वर्ष 2024–2025 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। 3. विधायी कार्य। 4. कोई अन्य कार्य।
शुक्रवार, 15 नवम्बर, 2024	छुट्टी
शनिवार, 16 नवम्बर, 2024	छुट्टी
रविवार, 17 नवम्बर, 2024	छुट्टी
सोमवार, 18 नवम्बर, 2024 (11.00 बजे प्रातः)	1. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। 2. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव। 3. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले कागज–पत्र। 4. वर्ष 2024–2025 के लिए अनुपूरक अनुमानों (पहली किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। 5. विधायी कार्य। 6. कोई अन्य कार्य।

चण्डीगढ़:
दिनांक 11 नवम्बर, 2024.

हरविन्द्र कल्याण,
अध्यक्ष।

******

चण्डीगढ़:
दिनांक 11 नवम्बर, 2024.

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।